

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 9-4/2017/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3 - 4-2017

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना संबंधी अभिलेखों के विनष्टीकरण की समयसीमा का निर्धारण ।



मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01-01-2005 को या उसके पश्चात् नवनियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित अभिलेखों के विनष्टीकरण की समय सीमा के निर्धारण नहीं होने से विभिन्न स्तरों पर अभिलेखों के रखरखाव में कठिनाई हो रही थी । अतः राज्य शासन ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित अभिलेखों के लिए निम्नानुसार समय सीमा निर्धारण का निर्णय लिया है :-


**एन.पी.एस. संबंधित अभिलेख**

स.क्रं.	अभिलेख का नाम	स्तर	अभिलेख संधारण अवधि
1.	प्रान आवंटन हेतु फार्म-S-1- अनुसार सेवापुस्तिका में प्रविष्टि करना तथा कोषालय में सत्यापन उपरांत सुरक्षित रखना	कार्यालय प्रमुख	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के 10 वर्ष बाद तक (सेवा स्वत्व संबंधी विवाद होने पर निराकरण होने तक)
2.	प्रान में विवरण परिवर्तन हेतु फार्म-S-2	कोषालय अधिकारी	03 वर्ष
3.	प्रान कार्ड एवं अधिलेख में फार्म-S-7-फोटो/हस्ताक्षर परिवर्तन	कार्यालय प्रमुख	सेवा अभिलेख की तरह 10 वर्ष
4.	सी.आर.ए. को प्रेषित निकासी प्रकरण	कोषालय अधिकारी	03 वर्ष
5.	वेतन देयक/शासकीय अंशदान देयक कार्यालय प्रति	कार्यालय प्रमुख	40 वर्ष
6.	सी.आर.ए.-एन.एस.डी.एल./कोषालय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख/नोडल संचालक पेंशन से पत्राचार	संबंधित कार्यालय प्रमुख	01 वर्ष

2/ आहरण एवं संवितरण कार्यालय एवं कोषालय स्तर में संधारित एन.पी.एस. संबंधित अभिलेखों को उपर्युक्त समयावधि तक सुरक्षित रखा जाए तथा इसके पश्चात् विनष्टीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।

3/ म.प्र. कोष संहिता एवं म.प्र. वित्त संहिता के सुसंगत प्रावधानों में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकर्जी)  
सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-4/2017/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3-4-2017

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी ) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
(अजय चौबे)  
उप सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग